ढोएगा, यह सारी सहायता उनको दी जा रही है। केन्द्र सरकार राजस्थान सरकार के साथ निरंतर सम्पर्क में है। इसके लिए एक ग्रुप आफ मिनिस्टर्ज़ फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में गठित है जो रेगुलर मीटिंग कर रहा है। वहां की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो जरूरी निर्णय हैं, वह लिये जा रहे हैं। इसलिए सरकार पूरे तौर पर कन्सर्ड है। **(व्यवधान)**

श्री सभापति: जवाब हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। **(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार: मैंने पहले भी कहा है 85 करोड़ रुपया दिया गया है।

Social security for workers of Informal Sector

*22. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "ILO insists on social security for informal sector workers" that appeared in the 'The Hindu' dated the 21st June, 2000; if so, Government's views in this regard;

(b) what is the percentage of such workers in the country;

(c) whether any measures have been taken for welfare of such workers; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Government is aware of the said news-item. As per the 1997 estimates of NSSO there were about 353.7 million workers, out of which around 90% workers belong to the unorganised sector.

A number of welfare measures have been taken by the Government through provisions stipulated in various statutes like Workmen's Compensation Act, 1923, Maternity Benefit Act, 1961, Payment of Gratuity Act, 1972 and Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952. In addition, group insurance schemes have also been introduced for certain categories of workers.

However, the number of workers in the unorganised sector is so huge that grant of social security benefits to such workers even on a modest scale would require massive resources.

The Second National Commission on Labour set up by the Government to suggest rationalization of the existing labour laws has also been asked to suggest an umbrella legislation for ensuring minimum level of protection to the workers in the unorganised sector.

SHRI JIBON ROY: मंत्री जी क्या जवाब देते हैं, मुझे पता नहीं है। मैंने तो सवाल इनफार्मल सेक्टर वर्कर्ज़ के बारे में किया था लेकिन आपने जवाब दिया अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्ज़ के बारे में। मिनिस्ट्री को भी मालूम नहीं है कि अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर और इनफार्मल सेक्टर में क्या फर्क होता है। अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी 141 और 177 इंटरनेशनल कनवेंशन में लागू नहीं किया है। Mr. Chairman, Sir, they do not know that there is a section of workers on whom jobs are unloaded by industrial enterprises, including monopoly houses and big industries. They do not know this. They do not have figures in this respect. Mr. Chairman, Sir, I was surprised to see the figures supplied by the National Sample Survey. According to the current figures of the National Sample Survey, the percentage of women employed has risen, while the percentage of men employed has gone down. Generally, I would have been glad to know that women are getting more and more employment, but when I chekced this up, I found that all over the country, after the reforms were initiated and the coming into being of a competitive market, a new phenomenon has developed, that is, most of the monopoly houses, including Philips, etc., are unloading jobs not only on contractors but also on women. In some places, especially in the Southern parts, women are taken out of their houses and kept in captivity in towns. There, they are kept as slaves. They are not given the minimum wages; sometimes, no wage at all. They are not allowed to go to their houses even after a year. Sir, the ILO had mentioned about the type of activities, including off-the-book production of goods and services by established enterprises, informal sector, the employment of clandestine workers, etc. The ILO had further mentioned, it is a trade off, not to introduce rules and regulations. I wish to know

whether your Government, your Ministry, has any information about this phenomenon. If you do have this information, I want to know how many workers, including women workers, are being employed in such clandestine works, where no regulation is being implemented. If you are aware of it, then how are you going to force these companies to implement these rules?

डा॰ सत्यनारायण जटिया: माननीय सभापति जी, 21 जून 2000 के "हिन्दू" में प्रकाशित समाचार के आधार पर उन्होंने प्रश्न किया है। वर्ल्ड लेबर रिपोर्ट, 2000—ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक प्रकाशन था उसी के आधार पर उन्होंने पूछा है। इसमें यह कहा गया है कि दुनिया भर में 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके कि काम की सुनिश्चितता के बारे में कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। उस दृष्टि से इन सारी बातों को कहते हुए रिपोर्ट का जो प्रारंभ किया गया है उसमें कहा गया है—

"75% of the 150 million unemployed people around the world, lack any insurance protection, while the vast majority of the population in many developing countries, including the formal sector wage-earners and self-employed persons, have no social protection whatsoever."

उनकी चिंता यह है कि ऐसे लोगों के प्रति हमारा जो सामाजिक दायित्व है किस तरह से हम उसका पालन कर रहे हैं। जहां तक उन्होंने प्रश्न किया है कि हमारे देश में ऐसे लोगों की जिनके कि रोजगार की निश्चितता नहीं है उन लोगों को आप क्या सुविधा दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा का क्या प्रबंध किया है। तो निश्चित रूप से आपको भी पता है कि इस प्रकार के कानून बने हैं। हमने बीड़ी वर्कर्स के बारे में सेस इकट्ठा करके देश भर में जो आज बीड़ी वर्कर्स हैं जिनमें 36 लाख ऐसे हैं जिनकी पहचान हुई है, बाकी के लोग भी हैं किंतु ऐसे 36 लाख लोगों के लिए स्वास्थ्य की, शिक्षा की, चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हमने प्रबंध किए हैं...(व्यवधान)

SHRI JIBON ROY: Sir, they do not know. That is the ...(*Interruptions*).

SHRI NILOTPAL BASU: This is an unorganised sector. Sir, the question is specifically on informal sector. He is diverting...(*Interruptions*)...

डा॰ सत्यनारायण जटिया: आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री नीलोत्पल बसु: सवाल तो इन्फारमल सेक्टर का है ...**(व्यवधान)**

श्री जीवन राय: मंत्री जी आपको मालूम नहीं है तो बता दीजिए **(व्यवधान)** You can take your time. You come to the House after getting the figures. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Let him complete the reply and then you can say what you want to say.

डा॰ सत्यनारायण जटिया: सभापति जी, उत्तर यदि आना है तो इस तरह से कहीं सुनना तो पड़ेगा...**(व्यवधान)**

श्री नीलोत्पल बसु: सवाल इन्फारमल सेक्टर का है और जवाब दे रहे हैं अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर का। ठीक ठाक पता करके दुबारा आइए हाउस में ...**(व्यवधान)** These are the informal sectors. ...(*Interruptions*)...

SHRI JIBON ROY: Sir, you direct the Minister to come prepared in the House. ...(*Interruptions*)...

डा॰ सत्यनारायण जटिया: ये समझते हैं कि श्रम के बारे में इनको जो जानकारी है वह ये ही जानते हैं। श्रम के क्षेत्र में मुझे भी 35 वर्ष काम करते हुए हो गए हैं इसलिए यह कहना कि वे जो कह रहे हैं और उनको जो पता है ...**(व्यवधान)**

श्री नीलोत्पल बसु: बीड़ी कहां से, कब से इन्फारमल सेक्टर हो गया *Bidi* is an unorganised sector ...**(व्यवधान)**

श्री जीवन राय: रिपोर्ट में सूचना है...**(व्यवधान)** रिपोर्ट कम से कम पढ़िए You should see the report at least. ...(*Interruptions*)... You read the report at least...**(व्यवधान)** रिपोर्ट का जिक्र क्यों कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**

डा॰ सत्यनारायण जटिया: मेरे पास रिपोर्ट है ...**(व्यवधान)**

श्री जीवन राय: आपको मालूम नहीं है। पेपर पढ़ते नहीं है, रिपोर्ट पढ़ते नहीं हैं ...**(व्यवधान)**

डा॰ सत्यनारायण जटिया: जैसे पढ़ने का ठेका इन्होंने लिया है। महोदय,

इस तरह से बात करने से बात नहीं बनेगी। ये समझ रहे हैं कि ये ही सब कुछ समझदार हैं और बाकी के लोगों को समझ नहीं है। इस तरह से नहीं होना चाहिए...(व्यवधान)

SHRI NILOTPAL BASU: Please ask him to come prepared in the House. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Let him complete the reply.

SHRI NILOTPAL BASU: Let him take the House seriously. We seek your protection. ...(*Interruptions*)...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: ये जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। जवाब एकदम सही है।

डा॰ सत्यनारायण जटिया: मैं बता रहा हूं ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Let him complete the reply. आप अपना रिप्लाई पूरा कीजिए।

डा॰ सत्यनारायण जटिया: इन्फारमल सेक्टर का अर्थ यह है कि जो छोटे छोटे कामों में लगे हुए लोग हैं उन लोगों की सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए। उनके काम के बारे में, रोजगार के बारे में, व्यवसायों के बारे में सुरक्षा का प्रबंध होना चाहिए। इस प्रकार की चिंता उसमें की गयी है। और उसमें यह बताया गया है कि 15 करोड़ लोग दुनिया में इस प्रकार के हैं जो कि इन्फॉर्मल सैक्टर में आते हैं। ...(व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम: जवाब आने दीजिए। ...(व्यवधान)

SHRI JIBON ROY: He does not know how many such workers are there in the country. He is the Labour Minister of the country. ...(*Interruptions*) Try to make your Ministry efficient. ...(*Interruptions*)

डा॰ सत्यनारायण जटिया: सभापति जी ...(व्यवधान) आखिर यह कैसे होगा। ...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र मोहन: ऐसे तो मंत्री जी जवाब नहीं दे पायेंगे। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Let him complete the reply. ...(व्यवधान)

डा॰ सत्यनारायण जटिया: इस तरह से बात करने से तो बात नहीं होगी। ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः आप उनको जवाब देने दीजिए। आप जवाब दीजिए।

डा० सत्यनारायण जटियाः मैं यह कह रहा हूं कि जिस प्रकार के काम हैं जिसमें कि काम की सुनिश्चितता होती है उसको फॉर्मल सैक्टर कहते हैं, जो कि वेज एम्प्लायमेंट होता है और बाकी के जो छोटे-छोटे काम हैं, जो कि जॉब वर्कर होते हैं, जिनको कि काम करने के बाद दाम मिलता है, जितना काम होता है उतना दाम होता है, उसको इनफॉर्मल सैक्टर कहते हैं। यह छोटे-छोटे कामों के बारे में है। यही प्रश्न है। अब यदि कोई नई डेफीनीशन यह जानते हैं तो कृपया मुझे समझाएं कि क्या चाहते हैं। ...(व्यवधान) यह फिर अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर के बारे में बात करना शुरू कर दिया ...(व्यवधान) मैं यह बता रहा था कि देश में अन-ऑर्गेनाइज्ड सैक्टर में 34 करोड़ लोग हैं। ...(व्यवधान)

SHRI NILOTPAL BASU: Even for the unorganised sector also, piecemeal rate is/in vogue in the country. He does not know that. I am sorry if this is the way the Government treats this House. *...(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: You are not hearing what he is saying.

SHRI NILOTPAL BASU: There is piecemeal rate in the informal sector. Even for the unorganised sector, piecemeal rate is in vogue in the country.

डा० सत्यनारायण जटियाः निश्चित रूप से इनका कंसैप्ट मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब जो रिपोर्ट का कंसैप्ट है वह मेरे पास है।

श्री नीलोत्पल बसुः आपको जानकारी नहीं है।

डा० सत्यनारायण जटियाः इसकी जानकारी मेरे पास है। इसको मैंने पढ़ा है। एक बार नहीं, दस बार पढ़ा है। यह सब मुझे मालूम है। ...(व्यवधान) This is the report which they are arguing about. They have quoted from The Hindu. The total news is with me. इसको सारा पढ़ने के बाद इन्फॉर्मल सैक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर, असुरक्षित कामगार, आरक्षित काम करने वाले ऐसे जॉब वर्कर हैं जो सब उसमें शामिल हैं। अब मुझे कोई नई डेफीनीशन सुना करके समझा रहे होंगे तो सारी बात मुझे आपसे अलग से समझनी पड़ेगी। किंतु जो कुछ रिपोर्ट के अंदर है, जो कुछ "हिन्दू" के अंदर कहा गया है, मैं उसको कोट करके पढ़ रहा हूं और उसके बारे में जवाब भी देना चाहता हूं। इसलिए माननीय सभापति जी, जो मैं कह रहा था वह यह है कि निश्चित रूप से हमारे देश में ऐसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने के प्रबन्ध हमने किए हैं और ऐसे सामाजिक सुरक्षा के प्रबन्ध करने में

जो-जो कारोबार जिनको कि वेतन के बारे में, रोज़गार के बारे में अनिश्चितता है, जिनको कि काम के बारे में अनिश्चितता है, ऐसे सारे लोगों को मिला करके जो देश की आबादी बनती है जिसको कि इन्फॉर्मल सैक्टर कहा है, जिसको कि अन-ऑर्गेनाइज्ड सैक्टर के रूप में भी पहचाना जाता है, देश में हमारा जो श्रमबल है उस श्रमबल में से यदि हम यह संख्या निकालें जिनको कि यह सुरक्षा होनी चाहिए, तो ऐसे लोगों की संख्या 80 लाख है। ऐसे 80 लाख लोगों को सुरक्षा देने का काम करना चाहिए जिनके लिए कि ऐसा प्रबन्ध नहीं हुआ है। इस प्रकार का प्रबन्ध करने के बारे में यह प्रश्न आया है। जो मेरी समझ में आया है वह यह है कि यदि वे काम के लिए असुरक्षा महसूस करते हैं तो उसके लिए सोशल सैक्युरिटी के क्या मेज़र्ज हो सकते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है,

The report it titled, "Income Security and Social Protection in a Changing World." It says:

> "The world's richest countries in Europe and North America have reduced protection provided by unemployment insurance in the 1990s. However, of all ILO member countries, the report identifies Australia, Belgium, Denmark, Finland, Germany, Iceland, Luxemburg, the Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden and Switzerland as providers of the 'most generous unemployment protection systems'."

अब यह उन्होंने कहा है और जब प्रश्न हमारे पास आता है कि यह किस प्रकार से हो रहा है, उसमें भी जो कहा गया है कि हम इन सारे लोगों के प्रोटैक्शन के बारे में कह रहे हैं, उसी रिपोर्ट का हिस्सा है और यह पढ़ देना चाहूंगा:

Besides this, the report also highlights some key trends and issues affecting social protection, various measures designed to improve the security for women, health coverage and old-age and survivors' pension, concluding that contributory social security schemes remain the instrument best suited as the main source of retirement income for workers in a vast majority of countries. ये उनका सार है कि इस प्रकार से महिलाओं और इन सारे लोगों को प्रोटेक्शन देने की बात होनी चाहिए और फिर हमारे देश का उल्लेख करते हुए उस रिपोर्ट में कहा गया है कि In this context, India finds mention for the Centre's Jawahar Rozgar Yojna and the Maharashtra Government's Employment Guarantee Scheme. "The scale of such programmes can be compelling", says the Report,

noting that employment provided under the JRY had reached one billion workdays by 2005. इस प्रकार पूरी रिपोर्ट का लबोलबाब यही है कि किस तरह से ऐसे असुरक्षित कामों में लगे हुए लोगों को हम सामाजिक सुरक्षा देने का प्रबंध करें। यह मेरा निवेदन है।

SHRI JIBON ROY: My second supplementary is...

MR. CHAIRMAN: You have already asked five questions.

SHRI JIBON ROY: Mr. Chairman, Sir, I do not want to ask anything on the 'definition'. My point is that the situation is very serious. Job unloading from the industries is taking place direct to the women and non-workers. And the report of the ILO says: "It is a trade off between employment and rules. As a result illegal workers are there." The ILO, in its latest report says: "In respect of home workers, poor enforcement of existing rules is not so much a matter of inadequacy of the law, but rather the result of an economic system which requires the perpetuation of this type of activity."

Another report of the ILO says: "The total real wage in India — because of this employment — has come down by five per cent between 1990 and 1997." Because the Government does not know it, I would request you to direct the Government to come here with the figures, so far as this sector of the workers is concerned, and have a discussion on it in this House. I would also like to know how much are you going to change the labour laws. Already the real wage has gone down by five per cent. How much more do you want to bring it down by all these changes?

डा० सत्यनारायण जटिया: माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के ऐसे सारे श्रम कानूनों में परिवर्तन/संशोधन करने के लिए सेकंड लेबर कमीशन ने काम शुरू किया है और अक्टूबर, 2001 तक उस की रिपोर्ट आनी है। साथ ही सेकंड लेबर कमीशन के अलावा यहां भी जो कानून की जरूरत है, उस को पूरा करने के उपाय किए जाते हैं। पिछले वक्त संसद ने वर्क्स मेन कम्पेनसेशन एक्ट को संशोधित किया है और वर्कर की मृत्यु होने की स्थिति में उस को एनहांस किया है, उस में हम ने सामान्य आकस्मिक रूप से काम करने वाले कैजुअल वर्कर्स को भी सम्मिलित किया है और उस में जो लिमिट कैलकुलेशन का काम है, 2000 से 4000 बढ़ाना ...**(व्यवधान)**..

SHRI JIBON ROY: They are clandestine workers.

डा० सत्यनारायण जटिया: माननीय सभापति जी, इस तरह से श्रम कानून में संशोधन करने के लिए सेकंड लेबर कमीशन ने काम किया है और समय-समय पर भी हम संशोधन करते जा रहे हैं।

श्री गांधी आज़ाद: मान्यवर, मंत्री जी द्वारा कर्मकारों के हितों के लिए कई अधिनियमों की अभी चर्चा की गयी जैसे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, उपादान संदाय अधिनियम, 1972 और कर्मचारी भविष्य निधि एवं उपबंध अधिनियम, 1952। मान्यवर, इसी तरह से प्रदेश सरकारें भी न्यूनतम मजदूरी के लिए कानून बनाती हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मजदूरों के हितों के लिए कानून तो बहुत बने हैं और बनते रहते हैं, लेकिन क्या उन कानूनों का क्रियान्वयन या अनुपालन भी होता है या नहीं? इन कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या सरकार के पास कोई योजना है या नहीं? अगर है तो उस का विवरण क्या है, नहीं है तो क्यों?

डा० सत्यनारायण जटिया: सभापति महोदय, मज़दूरों के लिए जो कानून उपलब्ध है उसमें भी हमने कार्यक्षेत्र का विभाजन किया हुआ है — कुछ कार्य केन्द्र सरकार के पास हैं और कुछ राज्य सरकारों के पास हैं और इस प्रकार से दायित्वों का विभाजन करके हमने श्रम कानूनों को निर्धारण करने का काम किया है। श्रम कल्याण के संबंध में हमारे पास उपलब्ध जो कानून हैं, जिनका उल्लेख आपने भी किया है और निश्चित रूप से ये सारे कानून जो हमारे पास उपलब्ध हैं जैसे वर्कमैन कम्पन्सेशन कानून के बारे में बात हुई है, हमने अभ्रक खान श्रम कल्याण नीति बनाई है, कोयला खान श्रम कल्याण नीति बनाई है, मैग्नीज़, अयस्क श्रम कल्याण उपकर अधिनियम बनाया है, डोलोमाइट और लाइम स्टोन के बारे में बनाया है, इसी प्रकार से बीड़ी वर्कर के बारे में, बागान श्रम के बारे में कानून बनाया है। ये सारे कानून हैं परन्तु इनको लागू करने की बात राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में दी गई है। जहां तक केन्द्र सरकार के दायरा है, इन सारे कानूनों को लागू करने के लिए हमारे पास स्थापित प्रणाली है और यदि उसमें कुछ विलम्ब होता है तो सी०एल०सी०, जिसे सैंट्रल लेबर कमिशनर कहते हैं, वे उस बारे में चिंता करने की बात करते हैं। राज्यों में यह व्यवस्था आर०एल०सी० के माध्यम से हम देखते हैं और राज्य सरकारों की भी अपनी एक प्रणाली है जिसके माध्यम से कानून लागू करने के बारे में व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं, उसके आधार पर उस काम का अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी देख-रेख का वे काम करते हैं।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: मान्यवर, सरकार ने अपने जवाब में बताया कि एक नेशनल कमीशन ऑन लेबर सेट-अप किया गया है जिसका कार्य होगा कि वह लेबर लॉज़ को सजेस्ट करे कि लेबर लॉज़ को रेशनलाइज़ कैसे किया जाए और उसमें अनआरगेनाइज्ड सैक्टर के वर्कर्स की

प्रोटेक्शन कैसे की जाए। आज जो हमारे लेबर लॉज़ हैं वे आउटडेटिड हैं, इरेलिवेंट हो गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वर्कर की डेफिनेशन में आप समाज के एक ऐसे सेग्मेंट को भी रखना चाहेंगे जिसकी इन्कम पांच लाख रुपए से ज्यादा है। जब हम वर्कर की बात करते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि वर्कर वे हैं जो अपनी रोज़ी-रोटी कमाने के लिए सुबह से शाम तक काम करते हैं और फैक्ट्रियों में आरगेनाइज्ड या अनआरगेनाइज्ड वे में काम करते हैं। लेकिन यह पायलेट एक ऐसा सेग्मेंट है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, इनको कब आप ठीक कर रहे हैं? इसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है देश की दोनों एयरलाइन्स को? इसके बारे में आप बताएंगे कि इसको कब तक किया जाएगा?

डा० सत्यनारायण जटिया: मान्यवर, तात्कालिक जो समसयाएं हैं उन पर विचार-विमर्श करने के लिए कानून में संशोधन करने के लिए जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में या कांट्रेक्ट लेबर के बारे में, इन सारी बातों पर विचार-विमर्श करने का काम ग्रुप आफ मिनिस्टर्स को सौंपा गया है और ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट आने के बाद फिर केबिनेट उन पर विचार करेगी और फिर जो कानून में संशोधन किया जाना चाहिए, जो अनुकूल हो सकता होगा, उसे पार्लियामेंट पारित करेगी। हम इस पर भी काम कर रहे हैं।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: पांच साल से यह ईशू पेंडिंग है।

डा० सत्यनारायण जटिया: हमारे सामने तो अभी वर्ष भर से ही ये सारी बातें आ रही हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो इंडस्ट्री और लेबर के प्रोटेक्शन की जरूरत है, हम उसको करने का काम करेंगे।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता: यह ईशू पांच साल से पेंडिंग है, इस पर कोई डिसप्यूट नहीं है और इस पर एक डिसीज़न लेने की बात है।

MISS MABEL REBELLO: Mr. Chairman, Sir, agriculture industry, construction industry, carpet industry and beedi industry are the major industries in the non-formal sector where people are working. I want to know from the hon. Member about the percentage of women and children employed in the non-formal sector. He knows that a lot of children are working in this sector, particularly, in beedi industry and carpet industry. I would like to know from the Minister what steps he would take to take these children out of the non-formal sector and put them back in schools. I would also like to know what special corrective measures he has for the women working in the non-formal sector.

डा॰ सत्यनारायण जटिया: माननीय सदस्या ने बाल श्रम के बारे में भी चिंता व्यक्त की है और निश्चित रूप से हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं जब मंत्रालय में आया था तो कुल 25 ऐसे आकुपेशन्स और प्रक्रियाएं थीं ...**(व्यवधान)**...

कुमारी मैबल रिबैलो: क्या परसैंटेज है महिलाओं और बच्चों का? नॉन फारमल सैक्टर का आपने 35 करोड़ का फिगर दिया है, उसमें महिलाओं और बच्चों का परसैंटेज क्या है?

डा॰ सत्यनारायण जटिया: मैं यह बता रहा हूं कि उसमें बाल श्रम आता है, उसमें महिलाएं आती हैं, उसमें बीड़ी रोलिंग आता है, यह सब नॉन फारमल सैक्टर में आता है। जब मैं यह बात कह रहा था तो मुझे मुश्किल हो रही थी परन्तु अब मैं बता रहा हूं कि बाल श्रम का निषेध करने के लिए और महिलाओं के कल्याण की दृष्टि से भी हमने कुछ व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं। बाल श्रम की दृष्टि से हम चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट बनाकर 20 लाख बच्चों को खतरनाक कामों से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमने ...**(व्यवधान)**

कुमारी मैबल रिबैलो: सर, मंत्री जी मेरे क्वश्चिन का जवाब नहीं दे रहे हैं। महिलाओं का परसेंटेज क्या है? बच्चों का परसेंटेज क्या है? ऐडमिट तो करें, मंत्री जी ऐडमिट तो करें कि बच्चे काम करते हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स भी नॉन-फॉर्मल सैक्टर में आते हैं, उनका परसेंटेज बताइए। आप तो कुछ और बात कर रहे हैं।

डा॰ सत्यनारायण जटिया: जैसा कि मैंने बताया कि महिला श्रमिक जो अनआर्गनाइज्ड सैक्टर में काम कर रही हैं, उनको प्रोटेक्शन देने की दृष्टि से हमारे पास जो कानून हैं, निश्चित रूप से वे बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए हमने कहा है कि दूसरे लेबर कमीशन में हम इन सारी बातों पर विचार करेंगे। जो भी महिलाएं जहां-जहां भी काम करती हैं, उनमें घरेलू काम करने वाली महिलाएं भी शामिल हैं, इन सारी बातों को सम्मिलित करते हुए ...**(व्यवधान)**

श्री सभापति: वे उनका नंबर जानना चाहती हैं। उनकी संख्या कितनी है?

डा॰ सत्यनारायण जटिया: अभी मेरे पास वह जानकारी उपलब्ध नहीं है। मैं यह जानकारी उनको उपलब्ध करा दूंगा।

कुमारी मैबल रिबैलो: मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है। इन्होंने जवाब नहीं दिया है ...**(व्यवधान)** मैंने पूछा है कि महिलाओं के लिए क्या प्रोविजन किया है, कुछ स्पैशल प्रोविजन किया है? इसका जवाब ये नहीं दे रहे हैं....**(व्यवधान)** मेरे क्वश्चिन का जवाब नहीं मिला है ...**(व्यवधान)**

MR. CHAIRMAN: Please sit down, all of you. Let him complete his reply. Please listen to the Minister.

डा॰ सत्यनारायण जटिया: सभापति महोदय, अलग से इस प्रकार की जानकारी संकलित

करने की कोई प्रणाली नहीं है। हम नेशनल सैम्पल सर्वे के आधार पर इन बातों का आकलन करने की कोशिश करते हैं। जो जानकारी माननीय सदस्या चाह रही हैं, मैं अवश्य वह जानकारी उन तक पहुंचा दूंगा।

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Mr. Chairman, Sir the hon. Minister, in his reply, has stated that the Second National Commission on Labour set up by the Government to suggest rationalisation of the existing labour laws has also been asked to suggest an umbrella legislation for ensuring a minimum level of protection to the workers in the unorganised sector, in veiw of the pathetic conditions of 90 per cent of the unorganised workers. I want to know from the hon. Minister, when was the Second National Commission on Labour set up and by what date it has been asked to submit its report, specially regarding the umbrella legislation.

डा॰ सत्यनारायण जटिया: सभापति महोदय, जैसा कि मैंने बताया है कि अक्टूबर, 1998 में यह लेबर कमीशन हमने स्थापित किया है और इसे 2 वर्षों में यानी अक्टूबर, 2001 तक अपनी रिपोर्ट देनी है। हमने इसमें अंब्रेला लेजिस्लेशन की बात कही है अनआर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। हमारे सामने बहुत से वर्कर्स ऐसे हैं जो अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में काम करते हैं जैसे ऐग्रीकल्चर वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट सैक्टर में काम करने वाले लोग आदि। ऐसे असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जिनके बारे में कानून उपलब्ध नहीं हैं, उनके बारे में यह लेबर कमीशन कानून सजेस्ट करने का काम करेगा।

MR. CHAIRMAN: I think we should go to the next question now. Question No. 23 Question No. 28 and 29 may also be taken up with this question.

SHRIMATI AMBIKA SONI: Question No. 33 also may be taken up with this Sir.

Earthquake in Gujarat

@*23. SHRI GAYA SINGH:
SHRIMATI KUM KUM RAI:†

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

@Starred Question Nos. 23, 28 and 29 were taken together.

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Kum Kum Rai.